Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 22.05.2017

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for green fodder production related activities at various agricultural sectors under the Farm Section of the Institute** at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/7
Date and Time for issue/Publishing	22-05-2017, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	24-05-2017, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	29-05-2017, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	12-06-2017, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	14-06-2017, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – ₹ 1000/- Earnest money – ₹10000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1,000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of TIN/TAN Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

निविदा प्रपत्र सूची

प्रक्षेत्र अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न कृषि सैक्टरो (चॉदसेन सैक्टर के (ब्लाक–9 में 16 हैक्टर, ब्लाक–5 में 6 हैक्टर, ब्लॉक–4 में 6 हैक्टर एवं ब्लॉक–3 में 2 हैक्टर लगभग), टाउनशीप (ब्लाक–12 में 9 हैक्टर लगभग), नयाकुआ (ब्लाक–14 में 6 हैक्टर एवं ब्लाक–16 में 3 हैक्टर लगभग) एवं मझोला सैक्टर(ब्लाक–19 में 9 हैक्टर लगभग) पर हरा चारा उत्पादन हेतु अनुबंध

(अ) कार्यो का विवरण :–

कम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि एवं विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा
1–	मेंग्नी की खाद डालना व प्रक्षेत्र में समान रुप से बिखेरना / फैलाने कार्य जो कि संस्थान के अन्दर सभी खण्ड़ो पर आवश्यकतानुसार करना होगा।	मई 2017 से जून 2018 तक	300 ट्रोली (लगभग 90 घन फीट प्रति ट्रोली)
2–	प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में सभी कृषि क्रियाएं अपनाते हुए सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार हरे चारे का उत्पादन करना रिजका, जई तथा जायज मे चौंला एवं बाजरे का हरा चारा उत्पादन (रिजका एवं जई की बुवाई का कार्य अक्टूबर माह व चौंला तथा बाजरे की बुवाई मार्च–अप्रेल में आवश्यकतानुसर होगी)	रिजका / बरसीम / चाइनीज कैबेज	300 क्विटल **हरा चारा**
		जई	4000 क्विटंल **हरा चारा**
		बाजरा	3000 क्विंटल **हरा चारा**
		चौंला	30 क्विंटल **हरा चारा**
3–	प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में जई का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जई की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना (प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	**जई का बीज**	20 क्विंटल बीज
4–	प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में जौ का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जौ की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना (प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	**जौ का बीज**	100 क्विंटल बीज

(ब) कार्यो का विवरण :–

1–	ब्लॉक न॰ 9 पर जैतून / किन्नो / माल्टा के पौधों की समय–समय पर देखभाल करना जिसमें पौधों में खाद एवं कीट व्याधियों के बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करना, समय–समय पर निराई–गुड़ाई का कार्य करवाना, पौधों की कटाई–छंटाई करवाना, लाइनों के बीच की जगहो में फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक के समस्त कृषि शस्य क्रियाए नियमित रुप से करवाना एवं अजोला खेती की देखभाल निर्देशानुसार करना। प्रक्षेत्र में ड्रीप संयत्र की देखभाल करना जिसमें ड्रीप लाइनों में पानी को व्यवस्थित रुप से चलवाने का कार्य, ड्रीप हेड की समय–समय पर सफाई करवाना, व जैतून के पौधों के गड्डों की मरम्मत का कार्य करना । हेड संयत्र के आस–पास के प्रक्षेत्र को साफ–सुथरा रखना एवं पानी के होज की समय–समय पर साफ–सफाई का कार्य करना ।	(1X2) दो हैक्टर	प्रति माह
2–	फार्म अनुभाग कार्यालय के सामने बने (43MX33M) आकार क्षेत्रफल में बने (9MX8M) की पौधशाला में पौध तैयार कर रख–रखाव करना, (3MX8M) में बने वर्मी कम्पोस्ट गड्डे में केचुआ खाद तैयार करना एवं लोन के चारो ओर बनी क्यारिया तथा क्षेत्र में लगे पेड–पौधो की निराई–गुडाई एवं देख–देख को निर्देशानुसार करना एवं ब्लॉक नम्बर–12 में मौसम शाला की साफ–सफाई एवं पानी डालने का कार्य नियमित रुप से करना होगा। उक्त समस्त कार्य के लिए औजार स्वंय अनुबन्धकर्ता के होगें ।	12 माह	प्रति माह
3	संस्थान के विभिन्न सैक्टरों पर नये पौधे लगाने हेतु बाहर से लाने वाले पौधों को उतारना, चढाना तथा यथास्थान पहुंचाना, गड्ढे खोदना तथा उनको खाद मिट्टी से भरना एवं पौधे लगाना एवं वर्ष भर आवश्यकतानुसार पानी पिलवाना। वृक्षारोपण हेतु 2x2x2 फीट आकार के गड्ढे खोदने होगें, उनमें खाद एवं मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना होगा।	3000 गड्ढे	प्रति गड्ढे

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्षायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भॉंति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्षाये गये सभी कार्यो का

पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्षायी गई दरों पर **संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन** से संबंधित कार्य बिन्दु अ तथा ब को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्षाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्षायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देषानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राषि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

<u>संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्य बिन्दु अ तथा ब को सम्पादित करने कि नियम व शर्ते</u>

1. **अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है।** यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है।
3. **निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।**
4. अनुबन्धकर्ता को हरे चारे की फसल उत्पादन करने के दौरान उपरोक्त सभी सैक्टरों उपलब्ध सामान की सुरक्षा/सिंचाई में काम आने वाले ट्युबवैलों एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेन्सिंग की देखभाल करनी होगी तथा कार्यालय क्षेत्र के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई–छगांई, पेड़–पौधें को पानी डालना, अनुभाग की नर्सरी की देखभाल करना एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निदेर्शानुसार अपशिष्ट ऊन की खाद तैयार करना होगा। साथ ही हरे चारे की फसल के अनुबन्ध की अविध पूर्ण होने पर प्रभारी, फार्म अनुभाग के निर्देशानुसार समस्त सामान नये अनुबन्धकर्ता/प्रभारी सेक्टर को सौंपना होगा।
5. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउनशीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यो को करवाने के लिए अलग–अलग पर्वेयक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरो के निर्देशानुसाार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होगें । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सेक्टरों के निर्देशानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा । कार्य निर्देशानुसार समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
6. सारणी 'अ' क्र0सं0 3 एवं 4 पर वर्णित जौ व जई के बीज की थ्रेसिंग कर वाकर उसकी शुद्ध मात्रा व भूसा को प्रक्षेत्र अनुभाग के भंडार कक्ष में पहुँचाना होगा। प्रतिक्विंटल दर के लिए केवल बीज की कुल मात्रा ही ली जावेगी।
7. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। रबी व गर्मी की फसलों मे सिचांई के पानी के हिसाब से हरा चारा उत्पादन करना होगा।
8. जौ एवं जई का बीज उत्पादन में सभी सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार कृषि कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होगें एवं थ्रेसींग का कार्य स्वंय अनुबन्धकर्ता को करवाना होगा ।
9. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा । जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर व थ्रेसिंग यन्त्र संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा
10. **अनुबन्धकर्ता को एक क्विंटल तक हरा चारा मांग के अनुसार फार्म अनुभाग स्थित धर्म कांटे पर तुलाई/वजन करते हुये भेड/बकरी सेक्टर तक पहुँचाना होगा तथा चारा तुलाई के उपरान्त प्राप्त वजन की रसीद दो प्रति में से एक संबंधित सेक्टर प्रभारी को व एक बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। हरा चारा लाने व ले जाने हेतु ट्रेक्टर मय ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।**
11. काटे गये हरे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) प्रभारी प्र–क्षैत्र/प्रभारी, सेक्टर/गठित समिति द्वारा महसूस की जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।
12. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
13. अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक मद में होने वाले खर्चे को मध्य नजर रखते हुये दर प्रस्तुत करे, क्योंकि किसी भी कार्य को परिस्थिति के अनुसार हटाया भी जा सकता हैं।
14. मानसून एवं विविध कारणों से चारा उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति नही की जावेगी।
15. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
16. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
17. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली अनुबन्धकर्ता के देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की व उसके आस पास की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी। साथ ही सेक्टर के आस–पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुये प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की सुरक्षा करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देगा।
19. कार्य का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा शर्त संख्या 12 की पूर्ति करते हुये बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर निश्चित समयावधि 30–45 दिन में कर दिया जावेगा।
20. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

21. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
22. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
23. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
24. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
25. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
26. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
27. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
28. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
29. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
30. सफल अनुबन्धकर्ता को 100/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
31. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
32. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रप्त्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में विभिन्न कृषि सेक्टरों पर हरे चारें का उत्पादन करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.